*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–21/2018 [ ] /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक– 28/09/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु नागरिक सुविधा मद से कुल ₹411.31 लाख (चार करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार रू०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक– 6706, दिनांक– 09.08.2018 द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक– 6788, दिनांक– 24.08.2018 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

2. पटना नगर निगम द्वारा किये गये उक्त अनुरोध तथा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में योजना की स्वीकृति हेतु दिनांक– 27.09.2018 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। चूँकि DAY-NULM के SUSV घटक के मार्गदर्शिका के अनुसार पक्के एवं स्थायी दुकानों के निर्माण हेतु प्रावधान नहीं है, जबकि प्रस्तावित वेंडिंग जोन का निर्माण स्थायी प्रकृति का है इसलिए प्राप्त प्रस्ताव को राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

3. उक्त निर्णय एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 67 दिनांक– 28/09/18 के आलोक में नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना को स्तम्भ– 04 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹411.31 लाख (चार करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	पटना नगर निगम	कदमकुआँ सब्जी मंडी में वेंडिंग जोन का निर्माण।	411.31000	100.00000	311.31000

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र।

4. उक्त आवंटित कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 662, दिनांक– 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

7. आवंटित कुल राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र की राशि की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष, 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217011910109,** विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

8. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) ***योजना का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, पटना द्वारा किया जायेगा।***

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–21/2018 11 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–28/09/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 04 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–21/2018 67 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–28/09/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु नागरिक सुविधा मद से कुल ₹411.31 लाख (चार करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार रू०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत वेंडिंग जोन के निर्माण हेतु पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक– 6706, दिनांक– 09.08.2018 द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक– 6788, दिनांक– 24.08.2018 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

2. पटना नगर निगम द्वारा किये गये उक्त अनुरोध तथा अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में योजना की स्वीकृति हेतु दिनांक– 27.09.2018 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। चूँकि DAY-NULM के SUSV घटक के मार्गदर्शिका के अनुसार पक्के एवं स्थायी दुकानों के निर्माण हेतु प्रावधान नहीं है, जबकि प्रस्तावित वेंडिंग जोन का निर्माण स्थायी प्रकृति का है इसलिए प्राप्त प्रस्ताव को राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

3. उक्त निर्णय के आलोक में नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना को स्तम्भ– 04 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹411.31 लाख (चार करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	पटना नगर निगम	कदमकुआँ सब्जी मंडी में वेंडिंग जोन का निर्माण।	411.31000	100.00000	311.31000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 662, दिनांक– 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

7. स्वीकृत कुल राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रु०) मात्र की राशि की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष, 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217011910109,** विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

8. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) ***योजना का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, पटना द्वारा किया जायेगा।***

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/ना०सु०–03–21/2018 के पृष्ठ सं०–02/टि० पर दिनांक–28.09.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–03/टि० पर दिनांक–28.09.2018 को प्राप्त है ।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–21/2018 67 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–29/09/18

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 04 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.09.18

सरकार के विशेष सचिव।